ग्वालियर : एसएसपी 3 दिन में आरोपी को पकड़ें

हाई कोर्ट ने कहा- दुष्कर्म का आरोपी आजाद है और अफसर बिना जांच घोषित कर रहे इनाम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. भिंड में नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले की जांच में गंभीर लापरवाही पर हाई कोर्ट की ने पुलिस अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी की- पुलिस को जांच से जवाद 'ट्रेजिक' में दिलचस्पी दिखाई दे रही है। आरोपी अब भी फरार है और बिना समुचित जांच ही उस पर इनाम भी रख दिया। कोर्ट ने भिंड एसएसपी को तीन दिन में आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं।

सब इंस्पेक्टर नागेश शर्मा ने कोर्ट को बताया, वे दूसरे केस की जांच के लिए निजी कार से भोपाल, फिर गोवा गए थे। वे कोर्ट को कार नंबर, पेट्रोल की रसीद, किसी टोल टैक्स के भुगतान का प्रमाण नहीं दे सके। शर्मा ने माना, वे एक दिन जवाद गोवा में रुके। कोर्ट ने टिप्पणी की, पुलिसकर्मी ड्यूटी के नाम पर पर्यटन कर रहे हैं। निजी कार से टोल टैक्स चोरी कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा-लगता है, पुलिस ने आरोपी को भागने का मौका दिया : कोर्ट में नाबालिग ने बताया कि आरोपी राम ही उसे कोर्ट के बाहर छोड़ गया था। इस पर कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुलिस ने आरोपी को भागने का मौका दिया। उसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने पाया कि एसएसपी ने केस डायरी देखे बिना टीआइ की सिफारिश पर आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम रख दिया। कोर्ट ने इनाम की घोषणा वापस लेने और आरोपी पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस बोली- लड़की नहीं मिली, घंटेभर बाद किया पेश

भिंड देहात थाने में नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज है। 6 जुलाई 2026 को पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा था कि लड़की का पता नहीं चल सका, पर एक घंटे बाद ही लड़की को कोर्ट में पेश कर दिया। वाया किया, वह कोर्ट के मेन गेट के बाहर मिली। पहले वन स्टॉप सेंटर बाद में नाबालिग को परजिनों के हवाले कर दिया गया।

पेज एक का शेष

ब्लैक लिस्टिंग...

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सहमति जताते हुए अलग राय लिखी और जस्टिस आलोक अवस्थी ने बहुमत के निष्कर्षों के साथ हस्ताक्षर किए। वहीं जस्टिस विवेक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर असहमति जताते हुए अलग निर्णय दिया।

ये है पूरा मामला... : अभिभाषक अमित मिश्रा के मुताबिक याचिकाकर्ता नितिन एंटरप्राइजेज के नितिन लोढ़वाल वर्ष 2007 से पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत ठेकेदार थे। इंदौर नगर निगम ने 15 फरवरी 2019 को वार्ड-21, जोन-5 में सीमेंट-कांक्रीट कार्य के लिए टेंडर जारी किया था। सबसे कम बोली होने के कारण फर्म का टेंडर स्वीकार हुआ। 23 मार्च 2020 को कार्यादेश जारी किया गया और ठेकेदार ने 2 लाख 64 हजार 300 रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा की। काम 240 दिनों में पूरा करना था। निगम के अनुसार ठेकेदार निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं कर सका। इसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को अनुबंध समाप्त करने के साथ ठेकेदार को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बाद में बैंक गारंटी के लिए जमा एफडीआर भी जब्त कर ली गई। ठेकेदार ने 18 नवंबर 2020 को आदेश वापस लेने की मांग करते हुए अवावेदन दिया, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। निगम ने इसी काम के लिए 9 फरवरी 2021 को नया टेंडर जारी कर दिया। इसके बाद ठेकेदार फर्म की ओर से हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। जिसमें कहा गया कि उन्हें ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई बिना सुनवाई का अवसर दिए की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। दूसरी ओर इंदौर निगम का कहना था कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं और कानून के तहत इसका विवाद मध्यस्थम अधिकरण में जाना चाहिए। इसी कानूनी पेच को सुलझाने के लिए मामला बड़ी बेंच के पास पहुंचा।

रिट याचिका का रास्ता खुला : बहुमत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ब्लैक लिस्टिंग में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो तो वे संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका सुनवाई योग्य हो सकती है, भले ही उसी आदेश में अनुबंध समाप्ति भी शामिल हो।

सोशल मीडिया...

दरअसल, पूरे मामले ने तब गंभीर रूप लिया, जब कुछ दिन पहले मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए हटा दिया था। मेटा ने बाद में इसे तकनीकी गलती बताते हुए बहाल कर दिया और खेद भी जताया। इसके बाद केंद्र सरकार ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर एल्गोरिद्म, कंटेंट मॉडरेशन और भारतीय कानूनों के अनुपालन पर विस्तृत जवाब मांगा।

सरकार की चिंता: सरकार की चिंता अब किसी एक पोस्ट या वीडियो तक सीमित नहीं है। उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई एल्गोरिद्म तय करता है कि करोड़ों भारतीय क्या देखेंगे और क्या नहीं, तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी। इसी कारण केंद्र केवल कंटेंट मॉडरेशन ही नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म, राजनीतिक कंटेंट की रीच, निजीपन लक्षीकरण (पट्ट टार्गेटिंग) और भारतीय कानूनों के अनुपालन की पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा मांग रहा है। मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सपेप, मैसेंजर और थ्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म हैं, जिनका भारत में सबसे बड़ा यूजर आधार है।

सरकार क्या जानना चाहती है? : किस आधार पर कोई पोस्ट वायरल होती है और दूसरी की रीच घटती है?

राजनीतिक और विरोध-प्रदर्शन से जुड़े कंटेंट की हश्यता कैसे तय होती है?

पोस्ट हटाने या उसकी पहुंच कम करने का फैसला एआइ लेती है या इंसान?

क्या एल्गोरिद्म भारतीय कानूनों और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप काम करता है?

डाक पैटर्न...

ठगी से ऐसे बचें।

1. अतिम बिल जांचें।
2. प्री-सिलेक्टेड बॉक्स अनटिक करें।
3. निजी डेटा न दें।
4. दबाव में न आएं।
5. सब्सक्रिप्शन की शर्तें पढ़ें।

शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं?

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर: 1915 पर कॉल करें या 8800001915 पर मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज कराएं।

अधिक समाचारों के लिए लॉगऑन करें ...
patrika.com

जिला पंचायत सदस्य के साथ मिलकर एमपी से बिहार तक बिछाया नेटवर्क

21 करोड़ की ठगी का अकाउंट हैंडलर इंजीनियर गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. चार्टर्ड एकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से 21.05 करोड़ की साइबर ठगी मामले में राज्य साइबर सेल की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रतलाम निवासी मैकेनिकल इंजीनियर अंकित वर्मा (31) को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वह शाजापुर के जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय और साइबर ठगी के सरगनाओं के बीच आहम कड़ी था।

साइबर पुलिस ने बताया, वह ठगी की रकम को बैंक खातों से निकालकर क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का काम करता था और दो % कमीशन लेता था। पूछताछ में अंकित ने बताया कि उसने बीई (मैकेनिकल) की पढ़ाई की है। गैराज खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए साइबर ठगों के संपर्क में आ गया। बाद में गिरोह ने उसे उत्तर भारत में ठगी से जुड़े खातों को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सौंप दी।

जिला पंचायत सदस्य के खाते से चलता था खेल

पुलिस के अनुसार अंकित ने जिपं सदस्य जगदीश मालवीय का संयुक्त साइबर ठगों से कराया था। जगदीश की संस्था के करंट एकाउंट की नेट बैंकिंग से जुड़कर खातों को ऑपरेट करता था। एपीके फाइल के जरिए मोबाइल ऑरब्राउजे की एक्सेस लेकर ठगी की रकम बिहार में ट्रांसफर करता और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर गिरोह तक पहुंचाता था।

बिहार तक फैला नेटवर्क

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने बिहार में भी नेटवर्क फैला रखा था। शाजापुर और रतलाम के दो अन्य सहयोगियों की भूमिका सामने आई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

ससुराल में छिपा था

जिपं सदस्य की गिरफ्तारी के बाद अंकित को अंदेशा था कि पुलिस उसके पीछे पहुंचेगी। उसने मोबाइल का डाटा फॉर्मेट कर दिया और सागर स्थित ससुराल में जाकर छिप गया। पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार किया।

डाटा रिकवर कर रही पुलिस

राज्य साइबर सेल अब आरोपी के मोबाइल का डिलीट डाटा रिकवर करा रही है। पुलिस को आशंका है कि उससे कई अन्य साइबर ठगी के मामलों के अहम सुराग मिल सकते हैं।

अधिकारी बोले

डीएसपी संजीव नवन शर्मा ने बताया कि आरोपी ठगी के नेटवर्क का एकाउंट हैंडलर था। पूछताछ में कई जानकारी दी है। मोबाइल का डाटा रिकवर करा रही है और अन्य मामलों में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

यह है मामला

रोशनी घर, इंदरगंज निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और रिट पट्टी करंसी में पैसा कमाने का लालच देकर 21 करोड़ 5 लाख रुपए ठगे हैं। सारा पैसा ठगों ने 76 बैंक खातों में ट्रांसफर किया। इन खातों जोड़कर राज्य साइबर सेल की टीम अन्य आरोपियों की तलाश रही है।

फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी, आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

सागर. जिले में पी केप फॉरेक्स और मेक्समी इंटरनेशनल कंपनियों के नाम पर आम लोगों से करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। लोगों को विदेश में डॉलर में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाया जाता था। धोखे का शिकार बने जो लोग सामने आए हैं, उनसे करीब ढाई करोड़ से ज्यादा की रकम ठगी गई। ठगी का मुख्य आरोपी हरविंदर सिंह पंजाब के मोहाली का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाया। मोतीनगर पुलिस ने ठगी के इस अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरियाणा में आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी थी।

भोजपुरी फिल्म में निवेश का झांसा, कारोबारी से 12.90 लाख की ठगी

ग्वालियर. भोजपुरी फिल्म 'रामबाबू-श्यामबाबू' के निर्माण में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर शहर के कारोबारी से 12.90 लाख की ठग लिए।

शिकायतकर्ता ओमप्रकाश कुकरेजा ने बताया कि मुंबई की अदता आर्ट्स के संचालक ने फिल्म निर्माण पर भारी कमाई झांसा देकर रकम ले ली, लेकिन न फिल्म बनी और न पैसा लौटाया। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की कारोबारी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

पूर्व एसडीओ का वादसपेंए हैक कर ठेकेदार से 1.30 लाख रुपए ठगे

शिवपुरी. साइबर ठगों ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व एसडीओ के वादसपए अकाउंट हैककर एक ठेकेदार से 1.30 लाख की ठग लिए। पुलिस ने बताया, अंसारी कॉलोनी निवासी ठेकेदार उदय सिंह धाकड़ को हरियाणम वर्मा के नाम से वादसपए संदेश मिला कि क्यूआर कोड भेजकर 1 लाख रुपए मांगे। उन्होंने कोड भेज दिए। ठगों ने फिर 30 हजार मांगे। बचुछार की सीमा पूरी होने की बात बताकर 7633065461 नंबर पर, इसमें गोलू नाम विद्यार्थी दे रहा था, दूसरे बैंक खाते से राशि ट्रांसफर करा ली।

ट्रांसपोर्ट और शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 17 लाख की ठगी

जबलपुर. ट्रांसपोर्ट और शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा झांसा देकर युवक से 17 लाख ठग लिए। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, गलगला टोरिया निवासी आकाश शुक्रवारे की सहेन्द्र द्विवेदी ने ट्रांसपोर्ट और शेयर बाजार में निवेश करने पर मुनाफा झांसा देकर से आकाश से 17 लाख उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। राशि मिलने के बाद आरोपी ने न तो मुनाफा दिया और न राशि वापस की।

धार : परिजन ने लापरवाही का लगाया आरोप

अस्पताल से मिला सिरप पिलाने के बाद 14 माह की मासूम की मौत

धार @ पत्रिका. जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के निसरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद घर ले गई 14 माह की मासूम बालिका की मौत के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से इलाज के दौरान दिया सिरप पिलाने के कुछ ही देर बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन बच्ची का शव लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंगार ने बताया कि निसरपुर के बीएमओ डॉ. जितेंद्र दुबरी से घटना की प्रारंभिक जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छात्रावास से भागे 14 बच्चे, 18 घंटे बाद सभी सुरक्षित मिले

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मेहर. शासकीय जूनियर अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास गिरगिटा से 14 छात्रों के एक साथ भागने से हड़कंप मच गया। सभी कक्षा 7वीं व 8वीं के हैं। वे रात करीब 10 बजे छात्रावास से भागे। रातभर कर्मचारियों ने ढूंढ़ा पर सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह छात्रों के नहीं मिलने पर प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी।

परिजन मेहर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है, अधीक्षक की फटकार के कारण बच्चे चले गए। एक छात्र की मां ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। 13 वर्षीय बेटा और दो अन्य छात्र 12 घंटे से अधिक समय से लापता थे। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पुलिस उलझाती रही। अधीक्षक अमृतलाल कोल ने बताया देर रात बच्चे झगड़ रहे थे। उन्हें शांत कराने के लिए फटकारा था। इसके बाद सभी मुख्य द्वार खोलकर भाग गए।

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
उज्जैन क्षेत्र, उज्जैन

माह जुलाई-2026 की अवधि में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उज्जैन क्षेत्र में प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घंटे
मैं एस.सी. वर्मा मुख्य अभियंता, उज्जैन क्षेत्र म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के निर्देश दिनांक 21.03.05 के पालन में निम्नलिखित जानकारी माह जुलाई-2026 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करता हूं।

क्र.	विवरण	प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घंटे		
		विगत माह जून-26 में	वर्तमान माह जुलाई-26 में	विगत वर्ष जुलाई-25 में
1.	संभागीय मुख्यालय	23: 47	23:49	23: 35
2.	जिला मुख्यालय	23:42	23:46	23:54
3.	तहसील मुख्यालय	23:35	23:45	23:47
4.	ग्रामीण क्षेत्र:-			
अ.	घरेलू प्रकाश फीडर	23:01	23:03	23:30
ब.	मिंचाई फीडर	9:13	9:27	9:34

म.प्र. माध्यम/127438/2026 'बिजली की बचत कीजिए' मुख्य अभियंता (उ. क्षे.)

धार @ पत्रिका. रतलाम रेल मंडल अपने यात्रियों की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देता है। इसी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए विद्युत विभाग के ऑन ड्यूटी कर्मचारी जीशान अली ने शुक्रवार को समय पर सीपीआर देकर चलती ट्रेन में कर्मचारी ने सीपीआर से बचाई यात्री की जान ट्रेन में एक यात्री की जान बचाई है। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 14802 में यात्रा कर रहे मनोज वर्मा (कोच एसई-21) को अचानक साइलेंट हिल का दौरा पड़ा। वे अचेत होकर गिर पड़े थे।

बाघ ने किया हमला

बालाघाट. कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे मालखेड़ी गांव में बाघ के हमले में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल की पहचान राजकुमार परते के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बाघ के हमले के बाद घायल राजकुमार परते किसी तरह चलकर अपने घर पहुंचे।

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE (MP)
RESHAM KENDRA GAUSHALA, INDORE (M.P.)
Office of the Commissioner Municipal Corporation, Indore

NIT No. Resham Kendra Gaushala/IMC/ 26-27/0185

NOTICE INVITING TENDER

Date : 07.08.2026

Contractor have to Submit Attested Scanned Copy of GSTIN Registration, PAN No., Annexure & other papers online. Tender through e-procurement are invited on portal-http://www.mptenders.gov.in on behalf of Indore Municipal Corporation, Indore

Online item rate bids for the following works are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling registration criteria:-

NIT Call	Name of Work	Probable Amount of Contract	Earnest Money Deposit	Cost of Tender Document	Category of Contractor	Period of Completion	Tender Type
Fifth Call	Contract of Milk Selling (Income) at Resham Kendra Gaushala IMC Indore	40.00 (Lacs) Two Yearly (Estimated at 150 liters per day)	₹1,20,000/-	₹5,000/-	Shop Act Registration/ GSTIN	Two Year	Item Rate

Sr. No.	Critical Dates	Start	
		Date	Time
1.	Online Publishing Date of Tender	07/08/2026	10.00 AM to 18.00 PM
2.	Online Document Download/ Sale Start Date	07/08/2026	10.00 AM to 18.00 PM
3.	Online Document Download/ Sale Last Date	20/08/2026	18:00 PM
4.	Online Bid Submission End Date	20/08/2026	18:00 PM
5.	Technical documents Opening Date	21/08/2026	10.00 AM to 18.00 PM
6.	Financial Bid Opening Date	24/08/2026	10.00 AM to 18.00 PM

Notes:
(1) All Details relating to the tender document(s) can be viewed on the website https://mptenders.gov.in.
(2) Tender document can be purchased after making online payment of portal fees through RTGS/NEFT/Internet Banking.

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

Incharge Officer
Resham Kendra Gaushala, Indore
Indore Municipal Corporation, Indore

प्रभारी मंत्री का वाहन खराब

टीकमगढ़. जिले के प्रवास पर आई प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के जन विश्वास शिविर में शामिल होने जाते समय वाहन खराब हो गया। इसी दौरान कुछ के जवानों ने धक्का देकर साइड में लगाया। लोग पुलिस के वाहनों के मेंटेनेंस को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे है। शुक्रवार को प्रभारी मंत्रीगौर जन विश्वास शिविर का शुभारंभ करने आई थीं।

पशु चिकित्सक को नियम ताक पर रख बनाया उप आयुक्त; कोर्ट ने निलंबन बहाल कर दिए जांच के आदेश

तीन मंत्रियों के भारी दबाव में नगर निगम व जीडीए में दी थी गैर-कैडर तैनाती

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राजनीतिक प्रभाव के आधार पर मलाईदार पदों पर तैनाती और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में फंसला सुनाते हुए ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के तत्कालीन संपदा अधिकारी डॉ. दिनेश दीक्षित का निलंबन बहाल कर दिया।

कोर्ट ने कहा, आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को इसलिए जांच से नहीं बचाया जा सकता कि वह सरकार का चहेता है। सिंगल बेंच का निलंबन रद्द करने वाला आदेश निरस्त करते हुए अदालत ने विभागीय जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई में सामने आया कि मूल रूप से पशु चिकित्सक डॉ. दीक्षित को नियमों को दरकिनार कर नगर निगम में उप आयुक्त पद पर नियुक्ति दी थी। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि तीन मंत्रियों की लगातार नोटशीट के बाद प्रतिनियुक्ति का रास्ता बनाया गया, जबकि निगम ने पद की योग्यता और वेतनमान अलग होने की आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद में उन्हें जीडीए में संपदा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया था।

मूल विभाग से वापस जीडीए भेजने के निर्देश

कोर्टने आदेश दिया कि डॉ. दीक्षित को मूल पशुपालन विभाग से तत्काल कार्यमुक्त कर जीडीए भेजा जाए, जहां वे बिना किसी पदभार के निलंबित रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी को तय समय-सीमा में विभागीय आरोप-पत्र (चार्जशीट) जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्टने बेतवानी दी कि यदि समय पर चार्जशीट जारी नहीं की गई तो आरोपी अधिकारी को अनुचित लाभ देने का प्रयास माना जाएगा।

Bank of India
रिश्तों की जगमगाहट
Relationship beyond banking

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्तियाँ जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित कीमतों एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 09.09.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट नं. 58 और 59, वंसत विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 4, धार (म.प्र.)
मोबाईल नं. 9764735730, 8787277135

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी दिनांक - 09.09.2026, समय- प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ब्रांची /कस्तबाद का नाम (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रु.) (6)	ईएमडी (7)
संचया एसएमई शाखा		(1) श्री संतोष पवार पिता श्री भेरूलाल, पता :- मकान नंबर 20, वार्ड नंबर 17, रामकटोरा, नालेपार, सेंधवा, तालुका-सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.) (2) श्रीमती शोभा पवार पति श्री संतोष पवार, पता :- मकान नंबर 20, वार्ड नंबर 17, रामकटोरा, नालेपार, सेंधवा, तालुका-सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.), सामिक बंधक संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश सेटलमेंट नंबर 209, पी.एच.नंबर 04, वर्ड नंबर 17, रामकटोरा, नालेपार 407/1, प्लॉट नंबर-48, वार्ड नंबर-21, जुलवानिया-सेंगवी मार्ग, सेंधवा, तालुका-सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 25x40=1000 वर्ग फीट, श्री संतोष पवार पिता श्री भेरूलाल के नाम पर, **चतुर्सीमा : पूर्व :** प्लॉट नंबर 49, **उत्तर :** प्लॉट नंबर 47, **पश्चिम :** कॉलोनी की रोड, **दक्षिण :** कॉलोनी की रोड	18.05.2026 9,99,665.20 + ब्याज एवं अन्य खर्च	01.08.2026 सांकेतिक	₹ 22.95 लाख	₹ 2.30 लाख इंक्रीमेंट: रु. 15000/-
संचया एसएमई शाखा		स्व. श्री विनोद अहिरे पिता श्री शंकरलाल अहिरे अपने ज्ञात कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से, (1) श्रीमती सुशीला अहिरे पति श्री विनोद अहिरे (2) श्रीमती पूजा अहिरे पिता श्री विनोद अहिरे, (3) श्री तुषार अहिरे पिता श्री विनोद अहिरे, (4) श्री यश अहिरे पिता श्री विनोद अहिरे (5) श्री संजय अहिरे पिता श्री नारायण अहिरे, (6) श्रीमती पार्वती अहिरे पति श्री शंकर अहिरे सभी का पता : हाउस टैक्स पंजीकरण नंबर 786/1, प्लॉट नंबर-13, गली नंबर 1, कृष्णवन धाम कॉलोनी, वार्ड नंबर 08, निवाली रोड, सेंधवा, तालुका-सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.) सामिक बंधक संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश सेटलमेंट नंबर 209, हाउस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर 786/1, प्लॉट नंबर-13, वार्ड नंबर-08, कृष्णवन धाम कॉलोनी, सेंधवा, तालुका-सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.), कुल एरिया : 20x50 = 1000 वर्ग फीट, स्व. श्री विनोद अहिरे पिता श्री शंकरलाल अहिरे के नाम पर, **चतुर्सीमा : पूर्व :** 25 फीट चौड़ी कॉमन रोड, **उत्तर :** 25 फीट चौड़ी कॉमन रोड, **पश्चिम :** विकेता की भूमि, **दक्षिण :** देवीद काले का मकान	18.05.2026 17,30,992.25 + ब्याज एवं अन्य खर्च	01.08.2026 सांकेतिक	₹ 16.30 लाख	₹ 1.63 लाख इंक्रीमेंट: रु. 15000/-

ऐसा के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दर्रो और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com**, बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन को या उससे पहले या ऐसी अवधि, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर बढ़ाया गया हो, के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपरोक्तवित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1 % की कर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आयकरांतर्गत भरकर जमा करना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना रहेगा। खरीदार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोड़ना पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक: 08.08.2026, स्थान : सेंधवा

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003
फोन : +91-755-4027100, 2774340/42, वेबसाइट : www.mpstdc.com
क्रमांक : 356/यात्रिकी/पविनि/26 **दिनांक : 07.08.2026**

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	नि.सू. क्र./सिस्टम आई.डी./कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रु. लाख में
1.	272/2026_STDC_528002_1/ उज्जैन जिला उज्जैन स्थित संत शिरोमणि रविदास चरण पादका स्थल का सौंदर्यीकरण, जनसुविधा एवं अन्य विकास कार्य (कार्यपूर्णता का समय 05 माह)।	28.91
2.	273/2026_STDC_528003_1/ जिला शाजापुर स्थित श्री बाबा भेरू नाथ धाम, श्री तेलिया हनुमान मंदिर एवं हिमालेश्वर धाम में जन सुविधा का निर्माण कार्य। (कार्यपूर्णता का समय 04 माह)।	16.78
3.	274/2026_STDC_528004_1/ बागली जिला देवास स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर में जन सुविधा का उन्नयन कार्य। (कार्यपूर्णता का समय 04 माह)।	16.78
4.	275/2026_STDC_528005_1/ शाजापुर जिला शाजापुर स्थित बाबा भेरू नाथ टेकरी में जन सुविधा का निर्माण कार्य। (कार्यपूर्णता का समय 03 माह)।	8.39
5.	276/2026_STDC_528